

वाड सी. 287/2023 खातून / पुन्हु hcmSN02023/482

9/07/24

वाडी वकील द्वारा डा.पत्र प्रस्तुत करने पर पत्रावली
आप नंबर पर ली गई। वकील वाडी ने कथन किया
है कि सहाकारन के महय आपसी सामंजस्य
से सजीनामा हो चुका है। अतः वाड पत्र 88,
53 व 188 R.T Act 1955 आज नहीं चलाना
चाहते हैं। अतः वाड पत्र जरिये विहील खारिज
किया जावे। डा.पत्र वाडीगण स्वीकार किया जाता
है तथा वाड पत्र 88, 53 व 188 R.T Act 1955
स्वीकार जरिये विहील खारिज किया जाता है।
पत्रावली फैसल शुमार लेकर नंबर से कम होकर
हाथिल दफतर हो।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डी.डवाना कुचामन)

कुचामन सिटी
शुभ

म. नि. खान

क. वि. शर्मा

